

क्रमांक 664-369/बो/19/2002

भोपाल दि 26 मार्च 2002

प्रति,

- 1/ प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
भोपाल ।
- 2/ समस्त मुख्य अभियंता (खास परी)
लोक निर्माण विभाग
म.प्र. ।
- 3/ समस्त अधीक्षण यंत्रो,
लोक निर्माण विभाग
म.प्र. ।
- 4/ समस्त कार्यपालन यंत्रो,
लोक निर्माण विभाग
म.प्र. ।

विषय:- हैण्ड रिस्पीट के द्वारा भुगतान पर प्रतिबन्ध ।

- सन्दर्भ:-
- 1/ कार्य विभाग मैनुअल-1983, अध्याय-4, खण्ड-10, इम्प्रेस्ट को कंट्रिक -4-865.
 - 2/ मध्य प्रदेश वित्तीय अधिकार पुस्तिका -1995 भाग-2, पृष्ठ -186, सरल क्रमांक-87.



—0—

हैण्ड रिस्पीट पर भुगतान के संबंध में कार्य विभाग मैनुअल एवं वित्तीय अधिकार पुस्तिका-1995 के प्रावधानों को यथावत रखते हुए, निम्नानुसार वित्तीय सीमा निर्धारित की जाती है :-

- ॥1॥ अनुभाग ॥सेक्शन॥ में पट्टस्थ यंत्रो एक माह में रुपये 500/- तक का व्यय हैण्ड-रिस्पीट पर कर सकेगा ।
- ॥2॥ अनुविभागीय अधिकारों द्वारा स्वयं के नाम से हैण्ड रिस्पीट पर रुपये 1000/- सीमा तक प्रतिमाह भुगतान किया जा सकेगा ।
- ॥3॥ किन्हीं कारणों से उपरोक्त सीमा से अधिक व्यय किया जाना आवश्यक हो तो, कार्यपालन यंत्रो द्वारा हैण्ड रिस्पीट के माध्यम से, स्वयं व्यय कर, स्वयं के नाम से ही, हैण्ड रिस्पीट पर, विले नये व्यय का भुगतान प्राप्त किया जावेगा ।

7 MAR 2002

2/-

§48

पो.ओ.एल. क्रय उपर्युक्त शीमे के अतिरिक्त डी.आ. विभाग द्वारा

अवश्यकता अनुसार यथावत किया जाता रहेगा।

§58

यह आदेश दिनांक 1.4.2002 से प्रभावशील होगा।

E. Amam
26/3/2002

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल दि 26 मार्च 2002

क्रमांक 665 369/बो/19/2002/

प्रतिलिपि :-

- 1/ निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
- 2/ निज सचिव, माननीय राज्यमंत्रीजी, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
- 3/ महालेखाकार, मध्य प्रदेश भोपाल/ग्वालियर।
- 4/ निज सचिव, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
- 5/ निज सहायक, सचिव, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
- 6/ उप सचिव, म. प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
- 7/ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय भोपाल को ओर सूचनाय प्रेषित।

E. Amam
26/3/2002

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

(शिकायत विभाग प्रती)
सूचनाय प्रेषित
दिनांक 26/3/02
पाठकार दिनांक 26/3/02
164 नमि 437
519/02